श्रावण मास, कृष्ण पक्ष 1 वर्ष, अंक 149, पृष्ठ 4, मूल्य 1.00

अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज सोमवार, 4 जनवरी, 2021

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

शिवराज सरकार का बड़ा एलान, पत्थरबाजों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कसेगी नकेल, बनेगा कानून

बीते दिनों मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने का निर्देश दिया है।

भोपाल, जेएनएन/एएनआइ। बीते दिनों मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की जाएगी वरन सजा के साथ नुकसान की रकम भी उनसे वसूली जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि मैंने ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पर काम शुरू कर दिया गया है। जल्दी ही उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए कानून सामने आएगा। दरअसल, बीते दिनों हुई पत्थरबाजी की कुछ घटनाएं हुई थीं जिसे लेकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्थरबाजी सामान्य अपराध नहीं है। ये लोग समाज के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे उपद्रवियों को सजा के साथ ही पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। उपद्रवी से आर्थिक भरपाई भी कराई जाएगी व उनकी संपत्ति राजसात की जाएगी। अधिकारियों को कानून बनाने के निर्देश दे दिए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी से किसी की जान भी जा सकती है। इससे भय और आतंक का माहौल बनता है। भगदड़ मचती है,

अव्यवस्थाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में कानून का राज ही चलेगा। अब तक ऐसे मामलों में मामूली कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून बना रहे हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्थरबाजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आगजनी को अंजाम देना या किसी का व्यक्तिगत नुकसान या तोड़फोड़ करना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में है। कोई भी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहने की लोकतंत्र में अनुमति है, लेकिन पत्थरबाजी जैसी घटनाएं सहन नहीं की जाएंगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा है कि पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई जरूर हो, पर बगैर अनुमति जुलूस निकालकर आपत्तिजनक व भड़काऊ नारे लगाने वालों, किसी के धार्मिक स्थल में जबर्दस्ती घुसने वालों, किसी भी धर्म के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने वालों के खिलाफ भी कानून बनाकर समान रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिनों उज्जैन और इंदौर में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धनसंग्रह करने को निकले रामभक्तों पर अकारण पत्थरबाजी की गई थी। इसके बाद इंदौर और उज्जैन के प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर पत्थरबाजों के मकान जमींदोज कर कड़ा संदेश दिया था। पहली घटना उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में 25 दिसंबर को हुई थी जहां हिंदू संगठनों के कार्यकताओं को निशाना बनाया गया था। पत?थरबाजी की इस घटना में नौ लोग घायल हो गए थी और पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया था। छानबीन में पाया गया था कि जिन मकानों से पथराव हुआ था वे अवैध तरीके से बनाए गए थे। प्रशासन पूर्व में इन मकान मालिकों को नोटिस भी जारी कर चुका था। अगले दिन 26 दिसंबर को प्रशासन का अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा तो चार घंटे से भी ज्यादा समय तक उपद्रवियों ने बवाल किया। यहां तक कि शहर के काजी की ओर से धमकी के बाद भी अधिकारी पीछे नहीं हटे और भीड़ को तितर बितर कर के मकान गिरा दिया गया। दूसरी घटना 29 दिसंबर को इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के चांदनखेडी गांव में हुई थी जहां मंदिर निर्माण के लिए निकाली जा रही रैली पर पथराव किया गया था। पत्थरबाजी की चपेट में आकर 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यहां तक कि उपद्रवियों ने धारदार हथियारों से हमला किया और गोलियां भी चलाईं। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने केस दर्ज कर करीब 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं 24 घंटे के भीतर प्रशासन ने स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन कर बनाए गए मकानों को तोड़ दिया था। मालूम हो कि इससे पहले शिवराज कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को 26 दिसंबर को मंजूरी दी थी। यह कानून जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने वालों पर नकेल कसेगा। शिवराज सरकार ने कहा था कि फिलहाल धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 28 नवंबर 2020 को उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हुआ था। यही नहीं कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई भी लव जिहाद रोकने के खिलाफ यूपी की तर्ज पर कड़ा कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं।

नगालैंड के जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी, अभियान में भारतीय सेना भी हुई शामिल

कोहिमा, प्रेट्र। नगालैंड के कोहिमा जिले के जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ और वन विभाग की टीम के अलावा पुलिसकर्मी भी आग बुझाने के काम में लगे रहे। दक्षिणी अंगामी क्षेत्र के दजुको रेंज में मंगलवार को दोपहर के बाद आग लगी थी। नगालैंड का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दजुको घाटी दजुको रेंज में ही स्थित है।

कोहिमा के जिला वन अधिकारी राजकुमार एम ने बताया कि वायुसेना के विमानों ने आग बुझाने के लिए 12 उड़ानें भरीं। उन्होंने कहा कि नगालैंड पुलिस, वन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। वन अधिकारी ने कहा कि पायलटों के

अनुसार आग फिलहाल नियंत्रण में है और इसे दजुको घाटी में आगे फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर निर्बाध संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोहिमा पुलिस ने विस्वेमा गांव में कंट्रोल रूम बनाया है। नगालैंड स्थित जुकू घाटी एक पर्यटन क्षेत्र है। मंगलवार दोपहर से यहां आग लगी हुई है। रविवार को छठे दिन भी आग बुझाने का काम जारी रहा। कोहिमा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, वन विभाग, पुलिस, आग एवं आपदा सेवाएं और दक्षिणी अंगामी युवा संगठन के स्वयंसेवियों के रोकथाम के उपायों से नगालैंड की तरफ से आग पर अपेक्षाकृत नियंत्रण पा लिया गया है। मणिपुर के सेनापति जिले में भी आग फैल गई है। जनसंपर्क अधिकारी (रक्षा) कोहिमा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित के. शर्मा ने कहा, 'राज्य सरकार की मांग के आधार पर कोहिमा के समीप वायुसेना के एमआइ-15वी5 हेलीकाप्टर का इस्तेमाल किया गया। आग बुझाने के लिए यह हेलीकाप्टर बांबी बकेट से लैस था।' उन्होंने कहा कि अभी भी यह अभियान जारी है। कई जगह आग लगी है। कब तक पूरी तरह आग पर काबू पाया जा सकेगा यह नहीं कहा जा सकता।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों से किराए पर बारदाना लेगी छत्तीसगढ़ सरकार

बिलासपुर, राज्य ब्यूरो। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान गहराते बारदाना संकट को देखते हुए राज्य शासन ने किसानों से किराए पर बारदाना लेने का आदेश जारी किया है। इसके लिए समितियों को अधिकृत किया गया है। किसानों से किराए पर बारदाना लेने की स्थिति में सात दिनों की समय सीमा तय की है। सात दिनों के भीतर किसानों को बारदाना वापस लौटाना होगा। इसके एवज में प्रति बारदाना साढ़े सात रुपये की दर से भुगतान करना होगा। यह राशि किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन से ही बारदाना आपूर्ति को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा नए बारदाने के

कोटे में कटौती करने का असर अब भी दिख रहा है। उचित मूल्य दुकानदारों ने भी मार्कफेड व खाद्य विभाग को अब तक पुराना बारदाना नहीं लौटाया है। इन सब कारणों के चलते खरीदी केंद्रों में पर्याप्त मात्र में बारदाना नहीं पहुंच पा रहा है। इसका असर खरीदी पर पड़ने लगा है। जिले के 128 खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा व जांजगीर-चांपा जिले में 50 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। इसके लिए एक करोड़ पांच लाख बारदाना की आवश्यकता है। जबकि वर्तमान में महज एक लाख पांच हजार बारदाना ही उपलब्ध है। बारदाना की कमी के कारण समिति प्रभारी किसानों को टोकन जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं।

राज्य शासन ने धान बेचने के लिए आने वाले किसानों के बारदाना में खरीदी करने के निर्देश दिए हैं। समितियों को इससे अवगत करा दिया गया है- अनूप अग्रवाल, सीईओ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर।

साल 2020 में राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के खिलाफ हिंसा की मिलीं सर्वाधिक शिकायतें

नई दिल्ली, पीटीआइ। साल 2020 कोरोना महामारी का वह गहरा घाव दे गया जिससे अभी भी दुनिया उबर नहीं पाई है। बीते साल में लोग लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से जूझते रहे। इस दौरान बच्चे और महिलाओं को काफी परेशानियां हुईं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। समाचार एजेंसी पीटीआइ ने राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के हवाले से घरेलू हिंसा को लेकर सनसनीखेज जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 2020 में पिछले छह सालों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे अधिक शिकायतें मिलीं।

एनसीडब्ल्यू के आंकड़ों के अनुसार, 23,722 शिकायतों में से करीब एक-चौथाई घरेलू हिंसा के

मामलों की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। उत्तर प्रदेश में 11,872, दिल्ली में 2,635, हरियाणा में 1266 और महाराष्ट्र में 1188 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से कुल 5,294 शिकायतें घरेलू हिंसा के हैं। 23,722 शिकायतों में से 7708 शिकायतें गरिमा के साथ जीवन के अधिकार के तहत की गई हैं।राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि आर्थिक असुरक्षा, तनाव के बढ़ते स्तर, चिंता, वित्तीय परेशानियां और परिवार से कोई भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने के चलते वर्ष 2020 में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि दंपती के लिए आजकल घर ही दफ्तर भी बन गया है। बच्चों के भी स्कूल और कालेज घर से ही खुल गए हैं। ऐसी सूरत में एक ही समय में महिलाएं घर और दफ्तर साथ-साथ संभाल रही हैं। इसीलिए छह सालों में सर्वाधिक शिकायतें पिछले साल ही दर्ज की गई हैं। इससे पहले वर्ष 2014 में 33,906 शिकायतें दर्ज की गईं थीं। बीते दिनों देश के 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की रिपोर्ट आई थी।

जमीन पर कब्जा करने का अस्त्र बन रहीं डॉ. आंबेडकर की प्रतिमाएं

अजय रावत, ग्वालियर। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए भारत के संविधान की रचना की, लेकिन उनके कथित अनुयायी उनकी प्रतिमा लगाने के नाम पर भू-माफिया बन बैठे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना के जौरा में जबरन प्रतिमा लगाने के बाद शनिवार को श्योपुर में भी इसी तरह डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। इस अनूठे षड्यंत्र से प्रशासन को बैकफुट पर जाने को मजबूर कर चुके दबंगों ने ग्वालियर-चंबल अंचल में आंबेडकर प्रतिमा को जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का अस्त्र सा बना लिया है। मुरैना स्थित जौरा में दबंगों द्वारा शासकीय जमीन पर कब्जा कर लगाई गई आंबेडकर प्रतिमा अभी प्रशासन हटा भी नहीं पाया था कि श्योपुर जिले के विजयपुर के मढ़ा गांव में शनिवार को इसी तरह कुछ लोगों ने जबरन उनकी प्रतिमा लगा दी। उन्हें रोकने पहुंचे एसडीएम विनोद सिंह की गाड़ी पर पथराव कर बंधक बना लिया। उन्हें प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद ही छोड़ा गया।

कुल 25 में से 24 हाईकोर्ट में अब स्थाई रूप से मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली, एजेंसी। पिछले हफ्ते चार जजों को प्रोन्नति मिलने के बाद देश के 25 हाईकोर्टों में से 24 हाईकोर्ट में अब स्थाई रूप से मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने हाल ही में पांच जजों को विभिन्न हाईकोर्ट में बतौर मुख्य न्यायाधीश प्रोन्नत किया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक चार जजों को प्रोन्नति दी जा चुकी है। जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। प्रक्रिया जारी है और इस हफ्ते के अंत तक फैसले की जानकारी मिल जाएगी। कुछ हाईकोर्टों में कार्यकारी मुख्य न्यायधीश काम कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एस.मुरलीधर को प्रोन्नत करके उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। दिल्ली

हाईकोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल को जम्मू,कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजिब बनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने चार रिक्तियां हैं। इस संबंध में कानून मंत्रालय को कोलेजियम की सिफारिशें मिलना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में पहला स्थान तब खाली हुआ था जब नवंबर, 2019 में देश के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हुए थे। इसके बाद दीपक गुप्ता, आर.भानुमती और अरण मिश्रा के रिटायर होने पर और तीन जगहें खाली हो गई थीं।

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में जमकर हुई बारिश

नई दिल्ली, जेएनएन। उत्तर भारत के ज्यादतार इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, जिससे काफी ठंड बढ़ गई है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आइये तस्वीरों में देखते हैं देशभर में हो रही बर्फबारी और बारिश की ताजा स्थिति। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फभारी हो रही है। जिसकी बेहद ही खूबसूरत सामने आ रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सड़क पर किस कदर बर्फ जमी हुई है। शनिवार रात से शुरू हुई बारिश के बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बादल छटते ही तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस साल दिसंबर और जनवरी में पहले ही अत्यधिक ठंड का अनुमान लगाया है। यहां पर भारी बर्फबारी दर्ज की गई है।

औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किए जाने का मुद्दा कांग्रेस और शिवसेना के बीच फिर गरमाया

मुंबई, एजेंसियां। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर किए जाने का मामला एकबार फिर से गरमा गया है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि वह शहर का नाम बदलने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी। साथ ही सचेत किया है कि यह महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) का हिस्सा नहीं है। जबकि चार महीने बाद ही औरंगाबाद महानगरपालिका के होने वाले चुनाव को देखते हुए शिवसेना करीब तीन दशक पुराने अपने इस आंदोलन को फिर से सियासी पटल पर प्रमुखता से रखने के प्रयास में जुटी है। उसने जता दिया है कि यह उसके लिए भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने संभाजीनगर नामकरण करने की मांग की थी। अब केवल कागजी कार्यवाही पूरी की जानी है।

शिवसेना ने साफ किया है कि इस मसले का गठबंधन पर असर नहीं होगा तथा घटक दलों के नेता मिल बैठ कर इसे सुलझा लेंगे। दूसरी ओर, मराठा समुदाय के सदस्यों ने कांग्रेस के रुख के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन किया। जबकि केंद्रीय मंत्री तथा आरपीआइ (ए) नेता रामदास आठवले ने कहा है कि नामांतरण के मसले पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने इसी सप्ताह एलान किया कि उनकी पार्टी औरंगाबाद का नाम बदलने के किसी भी प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी। इस पर शिवसेना ने शनिवार को कहा कि उसे विश्वास है कि एमवीए सदस्य इसका समाधान निकाल लेंगे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में तंज किया है कि कांग्रेस के इस रुख से भाजपा खुश हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का यह विरोध पुराना है। इसलिए इसे गठबंधन से जोड़ना बेवकूफी होगी। दूसरी ओर, भाजपा ने कहा है कि इस मामले पर कांग्रेस तथा शिवसेना राजनीति और नाटक कर रही हैं। भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, 'वे तय कर चुके हैं कि एक प्रस्तावित करेगा और दूसरा विरोध करेगा।' भाजपा विधायक अतुल सावे कहते हैं, 'कोई भी मुसलमान अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखता है तो यह किसी शहर का नाम क्यों होना चाहिए?' जबकि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा है कि यह मामला वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं। औरंगाबाद से एआइएमआइएम के सांसद इम्तियाज जलील का कहना है महज किसी स्थान का नाम बदल देने से उसका इतिहास नहीं बदला जा सकता। सरकार शहर का नाम बदलने में करोड़ों रुपये खर्च करने के बजाय वह रकम बुनियादी ढांचे के विकास पर क्यों नहीं करती है?

स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ता देने का रोडमैप तैयार

सूत्रों के मुताबिक स्कूली बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने की इस योजना को एक साथ पूरे देश भर में लागू करने के बजाय इसे पहले देश के उन जिलों में शुरू करने की तैयारी है जहां कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा है।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने के साथ नाश्ता देने की योजना का फिलहाल पूरा रोडमैप तैयार हो गया है। हालांकि यह अभी मंजूरी की प्रक्रिया में है। ऐसे में यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो इस पर हर साल करीब दस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार (रेडी-टू-ईट) नाश्ता दिया जाएगा। लेकिन इनमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री यानी बिस्कुट जैसी कोई चीज नहीं होगी। इसकी जगह स्वयंसेवी संस्थानों और महिला समूहों से तैयार सामग्री दी

जल्द मिल सकती है मंजूरी

जाएगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे योजना के तहत खाने के साथ नाश्ता देने के सुझाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस योजना के अमल में तेजी से जुटा हुआ है। इसके तहत मंत्रालय ने फिलहाल जो रोडमैप तैयार किया है, उनमें इस योजना को सभी राज्यों में लागू किया जाना है। जिस पर साल में करीब दस हजार करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है। फिलहाल राज्यों से कई दौर की चर्चा के बाद केंद्र इस पूरी योजना को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है।

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो यदि कोई बड़ी बाधा नहीं आयी, तो इसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहीं आने वाले बजट में भी इसके एलान की पूरी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक स्कूली बच्चों को नाश्ता मुहैया कराने की इस योजना को एक साथ पूरे देश भर में लागू करने के बजाय इसे पहले देश के उन जिलों में शुरू करने की तैयारी है, जहां कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा है। वैसे भी मौजूदा वित्तीय स्थितियों को देखते हुए एक साथ इस योजना के लिए भारी भरकम राशि मिलना भी मुश्किल है।

ऐसे में मंत्रालय ने अपने रोडमैप में फिलहाल कुपोषण से प्रभावित जिलों में इसे शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि इनमें किस राज्य के कौन से जिले शामिल होंगे, इसे लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब सौ जिले कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें यूपी, बिहार और राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले हैं।